न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

प्र० नं० - 176/2024

को उपलब्ध कार्रवाई गई। वकील उभय पक्षों की बहस जारी। प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 CPC पर सुनी गई। पत्रावली अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र आ० 9 नि० 13 CPC हेतु दिनांक 18/6/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

18/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रा०पत्र आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के आदेश 9 नियम 13 में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रा०पत्र आ० 9 नि० 13 CPC, जवाब प्रा०पत्र आ० 9 नि० 13 CPC एवं जवाब निगरानी प्रा०पत्र तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं वकील उभय पक्षों की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा० पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित पते पर प्रतिवादीगण कई वर्षों से नहीं

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

पुरूषोत्तम वगै0 बनाम आलोका लोढा वगै0

मुकदमा नं0 176/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		निवास करते थे तथा वर्तमान में निवास भी नही करते है। पते मे मकान नम्बर भी अंकित नही किये गये। रजि0 तामिल किये जाने के 30 दिवस के पश्चात ही एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। 30 दिवस पूर्ण नही हुये है। मौके पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल जो बना रखा है वो पक्षकारों की सहमति से ही बनाई गई थी परन्तु नक्शें में त्रुटिपूर्ण सीमाएं होने के कारण प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें मौके पर यथास्थिति के स्टे ऑर्डर आदेश जारी कर रखा है। अतः प्रकरण में प्रार्थीगणों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुणों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे जिस प्रकार तथ्यों का वर्णन किया है मिथ्याकंन होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगणों/प्रतिवादीगणों की तामिल जमाबन्दी में अंकित स्थाई पते पर जरिये रजि0 डाक से प्रोपर करवाई गई है। जो कि एक सरकारी महकमा है। प्रार्थीगणों/प्रतिवादीगणों को उपस्थिति हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगणों को उनवानी प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है। अतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र वेग, बेबूनियाद एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर आधारित होने के कारण प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश होने के कारण उसे भारी हर्जे खर्चे सहीत खारिज फरमाया जावें। अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मूल वाद सं0 56/2024 उनवान आलोक लोढा बनाम पुरूषोत्तम वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 30.05.2024 की कियान्विति स्थगित की जाकर प्ररकण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ हमफिता हों। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	